(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) अस्पताल परिसर में तथा उसके आस-पास कड़ी निगरानी और सुरक्षा रख कर पर्याप्त निवारक उपाय किये जाते हैं। प्रसव के तुरन्त बाद बच्चा मां-बाप को दिखाया जाता है और बच्चे पर पहचान पट्टी लगाई जाती है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) 25 जनवरी, 1993 के समाचार पत्र में एक ऐसी रिपोर्ट भी जिसका अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा खंडन किया गया।

Committees and Groups functioning under the Medical Council of India

2713. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the names of committees and Groups functioning under the Medical Council of India, its composition and functions; and

(b) what steps Government have taken or propose to take to include Central/State Health Officers/CGHS Doctors in such Committees or Groups as also exchange information between the Council and Doctors?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) The Executive Committee and Post Graduate Committee are the statutory committees constituted under the Indian Medical Council Act, 1956. The composition and functions of these committees are laid down in the said Act.

In addition there are sub-committees dealing iner-alia with with curriculum, registration and equivalance, migration, eligibility and matters pertaining to the laying down of standards for medical colleges.

(b) State Governments, Universiies and Central Government are already represented on the Council/Committee.

राज्यों में एड्स संबंधी अस्पतालों का खोला जाना

2714. **डा० बापू कालदाते :**

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एड्स के रोगियों के साथ भेदभाव न करने के संबंध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा अस्पतालों को आदेश दिये जाने के बावजूद भी देश में एड्स के रोगियों का उपचार नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक एड्स संबंधी अस्पताल खोलने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई और अन्य शहरों के अस्पतालों में एड्स के रोगियों को दाखिल करने से इंकार

2715. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि **बम्बई** तथा अन्य शहरों के विभिन्न अस्पतालों में

एड्स के रोगियों को दाखिल नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एड्स के रोगियों को देश में किसी प्रकार का उपचार मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसे रोगियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अस्पतालों में दाखिल नही किया गया ; और

(घ) ऐसे रोगियों को उपचार प्रदान करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे केवल एक मामले की सूचना दी गई थी जो जांच पड़ताल करने पर सही नहीं पाई गई। कोई अन्य मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्पष्ट एवं विशिष्ट आदेश जारी किए हैं कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन किसी भी सार्वजनिक अस्पताल में एड्स के रोगियों को दाखिल करने अथवा उनका उपचार करने से मना न किया जाए।

मच्छरों का उन्मूलन

2716. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान मच्छरों के उन्मूलन के लिए कोई व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन खामियों के कारण मच्छरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ; और

(ग) सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिससे की मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या तो तुरन्त नियंत्रित किया जा सके और इनके द्वारा फैलाए गए संभावित रोगों से आम जनता को बचाया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मच्छरों का उन्मूलन करना व्यवहार्य नहीं है वैसे मच्छरों से फैलने वाले मलेरिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए केवल कीटनाशकों का छिड़काव, लार्वानाशकों, लार्वाभक्षी मछलियों आदि का प्रयोग ही किया जा रहा है।

Opening of New Hospitals in Delhi

2717. SHR RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the number of hospitals at present functioning in the Union Territory of Delhi indicating the bed-strength available in each Hospital as against the requirement strength during 1992-93;

(b) whether the Government propose to open more hospitals in the peripherial areas during 1993-94 as well as during the Eigth Five Year Plan period, and if so, the details thereof;

(c) what is the budgetary provisions made for this purpose during the current financial year as well as during the plan period keeping in view the growing popularity in and around the Union Capital; and

(d) whether any criterion fixed for, opening of more Hospitals in proportion to the rise in population in Delhi Capital Region?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) The details of the hospitals functioning in Delhi with bed strength is given at Annexure. (See Appendix CLXVI, Annexure No. 51). The requirement of hospitals is determined,